पत्रांक :–3/यो01–14/2023 (उ0 शि0) ..../

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0–हिनू, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक ..../

विषयः– **कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु रू0 39,94,08,900/– (उनचालीस करोड़ चौरानवे लाख आठ हजार नौ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश– स्वीकृत ।

राज्य में उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार लाने एवं उसके सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार दृढ़संकल्पित है। वर्तमान में झारखण्ड का सकल नामांकन अनुपात 18.6 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 28.4 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक (Multi-disciplinary) के रूप में विकसित किया जाना है तथा सकल नामांकन अनुपात (GER) को वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2. उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक 2786/रा0 दिनांक 24.11.2023 के द्वारा पर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत पोटका अंचल के मौजा–खड़ियासाई, खाता संख्या–217, प्लॉट नं0–213, थाना नं0– 1322, कुल रकबा–5.00 एकड़, किस्म–पुरानी परती काबिल आबाद अनाबाद (बिहार) झारखण्ड को डिग्री महाविद्यालय, पोटका के निर्माण हेतु चिन्हित एवं हस्तांतरित किया गया है।

3. वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष–BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान लघुशीर्ष –102–विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 97.00 करोड़ (संतानवे करोड़ रूपये) मात्र एवं लघुशीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 103.00 करोड़ (एक सौ तीन करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू0 200.00 करोड़ का संशोधित बजट उपबंध है।

4. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक 489(नि0) दिनांक 22.02.2024 के द्वारा Estimate No.-508/T.A/H.E/JSBCCL/2023-24,Page- 229 dated 09.02.2024 से कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु रू0 39,94,08,900/– (उनचालीस करोड़ चौरानवे लाख आठ हजार नौ सौ रूपये) मात्र (GST-18%, Labour cess- 1% & JSBCCL Charge सहित) के डी0 पी0 आर0 (DPR) पर संशोधित तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

5. अतः कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु रू0 39,94,08,900/– (उनचालीस करोड़ चौरानवे लाख आठ हजार नौ सौ रूपये) मात्र (GST-18%, Labour cess- 1% & JSBCCL Charge सहित) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य का कियान्वयन PWD Code के आलोक में झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि का विकलन राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष–"मुख्य शीर्ष–2202, उप मुख्य शीर्ष–03–विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष – BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान, 78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान मद में आवंटित राशि से किया जायेगा।

8. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक 21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

9. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी–

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
–	–	–

10. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी० एल० खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

12. कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत पी० एल० खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची को उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. उक्त विषयांकित योजना का अनुश्रवण कुलपति, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के द्वारा किया जायेगा, जो समय–समय पर कार्य की गुणवत्ता की जॉच कराते हुये प्रतिवेदन उच्च शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे। निदेशक, उच्च शिक्षा के द्वारा भी उक्त विषयांकित योजना के क्रियान्वयन का समय–समय पर समीक्षा करते हुए गहन अनुश्रवण किया जायेगा।

14. उक्त विषयांकित कार्य को पूर्ण करने की अवधि कार्यानुमति की तिथि से 24 माह होगी तथा कार्य पूर्ण करने के पश्चात् एक माह के अन्दर हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी। कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु विभागीय बजटीय उपबंध के आलोक में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निम्नवत् होगा–

कमांक	वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
1	2024–25	10,00,00,000/–	25 प्रतिशत
2	2025–26	15,00,00,000/–	40 प्रतिशत
3	2026–27	14,94,08,900/–	35 प्रतिशत

15. कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु Furniture एवं Equipments का कय सुसंगत वित्तीय नियमावली के प्रवधानों के तहत झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची द्वारा किया जायेगा। Furniture एवं Equipments के Specification का निर्धारण झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची द्वारा विश्वविद्यालय की सहमति से किया जायेगा।

16. राज्य योजना प्राधिकृत समिति के दिनांक 05.03.2024 को सम्पन्न बैठक के आलोक में योजना एवं विकास विभाग के ज्ञापांक रा०यो०प्रा०–98/2024 दिनांक 07.03.2024 के द्वारा अनुशंसा प्रदान किया गया है।

17. दिनांक 12.03.2024 को आहूत मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या–27 के रूप में कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

18. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

19. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

20. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

21. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

22. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
ह0/–

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/यो01–14/2023(उ0शि0)................../ राँची,दिनांक–....................../2024

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/यो01–14/2023(उ0शि0)....423/958..../ राँची,दिनांक–....16/03/2024

प्रतिलिपि –विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/ कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलपति, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा/कुलसचिव, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा)/उप निदेशक, उच्च शिक्षा/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.3.24

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।